<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांकः 05.02.2021</u>

<u>थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मोबाईल/रूपये छिनैती की घटनओं में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्त चोरी के 10 मोबाईल फोन, 1100 रूपये, ग्लेमर मोटर साईकिल एवं अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार, चोरी के मोबाईल खरीदने वाले 02 अभियुक्त भी चोरी के 02 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री विवेक शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2021 को चौकी प्रभारी नई मण्डी उ0नि0 विक्रम सिंह मय फोर्स के तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि गस्त करते हुए जुलेपुरा-अनूपशहर रोड पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति ग्राम जुलेपुरा से ग्राम पौण्डरी की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली बम्बे की पुलिया के पास मोटर साइकिल लिए खड़े हैं जिनके पास चोरी के मोबाइल है तथा किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो दोनो अभियुक्त पुलिस टीम को देखकर मोटर साइकिल को स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे कि पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी करते हुए दोनों अभियुक्तों को चोरी के 02 मोबाईल फोन सहित ग्राम जुलेपुरा पौण्डरी की पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके द्वारा पूछताछ पर अपने नाम सतेन्द्र पुत्र स्व0 नेत्रपाल सिंह एवं सूरज पुत्र सर्वेश कुमार निवासीगण ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली जनपद बुलंदशहर बताया।

उपरोक्त गिरफतारशुदा अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि बरामद दोनों मोबाइल फोन चोरी के हैं जो हमने अनिल व अमन नाम के दो युवको से खरीदे थे, हम उन्हीं दोनों युवको का इंतजार कर रहे है जो अभी थोडी देर में और मोबाइल दिखाने व बेचने के लिए आने वाले है कि इतने में ही ग्राम पौण्डरी की ओर से मोटर साइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको भी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर ग्लेमर मोटर साईकिल, 02 तंमचे मय कारतूस व चोरी के 10 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा अपना नाम अनिल पुत्र कमल निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर व अमन उर्फ आकाश पुत्र सुभाष निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड बताया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1. सतेन्द्र पुत्र स्व0 नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।
2. सूरज पुत्र सर्वेश कुमार निवासी उपरोक्त।
3. अनिल पुत्र कमल निवासी उपरोक्त।
4. अमन उर्फ आकाश पुत्र सुभाष निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड। हाल पता-ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।

<u>बरामदगी-</u>

1. अभियुक्त सतेन्द्र व सूरज से चोरी के 02 मोबाईल वीवो व ओप्पो कम्पनी के
2. अभियुक्त अनिल व अमन से चोरी के 10 मोबाईल भिन्न-भिन्न कम्पनी के।
3. एक मोटर साईकिल ग्लेमर यूपी-13पी-6275 (चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त)
4. चोरी के 1100 रूपये
5. 02 तंमचे 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल व अमन दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं जिन्होने पूछताछ पर बताया कि वह दोनों ग्लैमर मोटर साइकिल से होटल, ढाबों व दुकानों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों से मोबाइल व पैसे चोरी कर लेकर भाग जाते हैं और उन्हें जरूरतमंद लोगों को बेच देते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं उनको आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तगण द्वारा सभी मोबाइल भिन्न-भिन्न जगह से चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है तथा आज मोबाइलों को बेचने के इरादे से जा रहे थे।

अभियुक्त सतेन्द्र से बरामद मोबाइल वीवो वी-2020 जो अभियुक्त अनिल व अमन द्वारा दिनांक 31.12.2020 को शाम के समय अनूपशहर रोड पर पेट्रोल पंप के आगे से एक व्यक्ति से चोरी किया गया लिया था जिसके संबंध में थाना कोवताली देहात पर मुअसं-49/21 धारा 356 भादवि पंजीकृत है तथा सूरज से बरामद मोबाइल ओप्पो ए-75 को अभियुक्त अनिल व अमन द्वारा दिनांक 29.01.2021 को शाम को सीएनजी पंप अनूपशहर रोड के पास से चोरी किया था

जिसके संबंध में थाना कोवताली देहात पर मुअसं-87/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। शेष सभी बरामद मोबाईलो के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त अनिल व अमन ने बताया कि करीब तीन-चार माह पूर्व हम लोगों ने होरामगढ़ी के पास से रजवाहे की पटरी से एक व्यक्ति से 4,500 रुपए चोरी कर लए थे जिसके संबंध में थाना कोवताली देहात पर मुअसं-843/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों से 1100 रूपये बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-91,92/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व मुअसं-93/2021 धारा 413,414 भादवि पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-</u>

1- श्री विवेक शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात
2- श्री विक्रम सिंह, प्रभारी रि0चौकी नई मण्डी।
3- उ0नि0 दुर्वेश कुमार
4- है0का0 कपिल चौधरी, का0 नितेश कुमार, का0 अरूण कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 चालक आमिर आलम